

अध्याय 6: अन्य अनुपालन मुद्दे

निष्पादन लेखापरीक्षा के दौरान हमने सेवा कर की दर की प्रयोज्यता के गलत प्रयोज्यता और ब्याज का गैर/कम भुगतान के ₹ 8.84 करोड़ के 44 मामले देखे।

6.1 सेवा कर के दर की गलत प्रयोज्यता

वित्त अधिनियम, 1994 के अनुसार, धारा 65 (जेडजेडक्यू) के तहत वाणिज्यिक अथवा औद्योगिक निर्माण सेवा पर सेवा कर 10 सितम्बर 2004 से प्रभावी लगाया गया था जबकि धारा 65 (जेडजेडजेडजेडए) के तहत कार्य संविदा पर सेवा कर 1 जून 2007 से प्रभावी लगाया गया था। बोर्ड के दिनांक 4 जनवरी 2008 के परिपत्र के अनुसार एक परियोजना के निर्माण के लिए ली गई सेवाओं का वर्गीकरण में वाणिज्यिक अथवा औद्योगिक निर्माण सेवा से डब्ल्यूसीएस में परिवर्तन अनुमत नहीं है।

अहमदाबाद (एसटी) आयुक्तालय में मैसर्स शपूरजी पलोन्जी एवं कंपनी लिमिटेड के अभिलेखों की जांच से हमने देखा कि दो परियोजनाएं जोकि है टाटा मोटर्स लिमिटेड (टीएमएल) और भावनागर एनर्जी कम्पनी लिमिटेड (बीइसीएल) को अक्टूबर 2008 और जुलाई 2010 क्रमानुसार प्रारंभित निर्माण सेवा प्रदान की गई थी, उन्हें वाणिज्यिक अथवा औद्योगिक निर्माण सेवा के तौर पर वर्गीकृत किया गया था निर्धारित इनपुट पूंजीगत माल और इनपुट सेवाओं के सेनवैट क्रेडिट का लाभ उठा रहा था और 1 मार्च 2006 की अधिसूचना के तहत मंदी का लाभ नहीं उठाया और वाणिज्यिक और औद्योगिक निर्माण सेवा के तहत 12.36 प्रतिशत की सामान्य दर पर सेवा कर का मोचन किया। हमने ध्यान दिया कि उन्होंने उपरोक्त परियोजनाओं का वर्गीकरण जुलाई 2012 से मार्च 2013 तक डब्ल्यूसीएस में परिवर्तित कर दिया और 60 प्रतिशत की मंदी के लाभ उठाने के बाद ₹ 71.31 करोड़ कर लगने योग्य मूल्य पर सेवा कर का भुगतान किया जोकि गलत है। आगे जैसे कि उन्होंने इनपुट क्रेडिट का लाभ उठा लिया था बिना किसी मंदी के कर-योग्य आय के 100 प्रतिशत पर सेवा कर का भुगतान करने की आवश्यकता है इसके परिणामस्वरूप ₹ 4.46 करोड़ के सेवा कर की कम उगाही हुई।

हमने इसकी ओर ध्यान दिलाया (फरवरी 2014) विभाग ने सम्मति स्वीकार करते हुए कहा (फरवरी 2014) कि ड्राफ्ट कारण बताओ नोटिस जारी किया जा रहा है।

मंत्रालय का उत्तर अब भी अपेक्षित है (जून 2015)।

6.2 ब्याज का गैर/कम भुगतान

वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 75 ध्यान देती है कि प्रत्येक व्यक्ति धारा 68 अथवा उसके तहत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के अनुसार कर का भुगतान करने हेतु उत्तरदायी है, निर्धारित अवधि के भीतर केन्द्रीय सरकार के खाते में कर या इसका कोई भाग जमा कराने में विफल होने पर उस अवधि के लिए जिसमें इस प्रकार कर या इसका कोई भाग जमा कराने में विलम्ब हुआ है के लिए ब्याज का भुगतान करेगा।

कुछ व्याख्यात्मक मामले नीचे दिय गए हैं:

6.2.1 अहमदाबाद-एसटी आयुक्तालय में मैसर्स जय हिंद परियोजना लिमिटेड 2010-11 से 2013-14 तक की अवधि के दौरान डब्ल्यूसीएस प्रदान करने में प्रवृत्त रहे, ₹ 27.03 करोड़ सेवा कर का देरी से भुगतान किया। निर्धारिती द्वारा प्रस्तुत विवरणों से हमने देखा कि देरी से भुगतान किए गए सेवा कर पर भुगतेय ब्याज ₹ 2.60 करोड़ था। किंतु निर्धारिती ने ₹ 1.02 करोड़ की ब्याज देयता का मोचन किया। इसके परिणामस्वरूप ₹ 1.58 करोड़ के ब्याज की कम उगाही हुई।

हमने इसकी ओर ध्यान दिलाया (जनवरी 2015) विभाग/मंत्रालय का उत्तर अब भी अपेक्षित है (जून 2015)।

6.2.2 भुवनेश्वर-1 आयुक्तालय में मैसर्स आदर्श नोबल कॉर्पोरेशन लिमिटेड 2012-13 और 2013-14 की अवधि के दौरान ₹ 6.85 करोड़ का डब्ल्यूसीएस प्रदत्त सेवा कर देरी से प्रदान करने में प्रवृत्त रहे। किंतु निर्धारिती ने ₹ 65.48 लाख की ब्याज देयता का मोचन नहीं किया। इसके परिणामस्वरूप ₹ 65.48 लाख के ब्याज का गैर-भुगतान हुआ।

हमने इसकी ओर ध्यान दिलाया (नवम्बर 2014), विभाग/मंत्रालय का उत्तर अब भी अपेक्षित है (जून 2015)।

6.2.3 पटना आयुक्तालय में **मैसर्स श्री अवंतिका कान्ट्रेक्टर (I) लिमिटेड** 2010-11 और 2012-13 की अवधि के दौरान ₹ 1.08 करोड़ का देरी से डब्ल्यूसीएस प्रदत्त सेवा कर प्रदान करने में प्रवृत्त रहे। किंतु निर्धारिती ने ₹ 35.27 लाख की ब्याज देयता का मोचन नहीं किया। इसके परिणामस्वरूप ₹ 35.27 लाख के ब्याज का गैर-भुगतान हुआ।

हमने इसकी ओर ध्यान दिलाया (जनवरी 2015), विभाग/मंत्रालय का उत्तर अब भी अपेक्षित है। (जून 2015)।

6.2.4 कोलकाता (एसटी) आयुक्तालय में **मैसर्स गन्नोन इन्करली एंड कम्पनी लिमिटेड** ने 2013-14 के दौरान डब्ल्यूसीएस के संदर्भ में ₹ 2.41 करोड़ के सेवा कर का देरी से भुगतान किया, परंतु सेवा कर के विलम्बित भुगतान के लिए ब्याज का भुगतान नहीं किया। इसके परिणामस्वरूप ₹ 24.71 लाख के ब्याज का भुगतान नहीं हुआ।

हमने इसकी ओर ध्यान दिलाया (मई 2014) निर्धारिती ने जून 2014 में ₹ 24.71 लाख के ब्याज का भुगतान किया/किंतु विभाग/मंत्रालय द्वारा उत्तर अभी भी अपेक्षित है (जून 2015)।

6.2.5 मुम्बई-1 (एसटी) आयुक्तालय पर अभिलेखों की जांच के दौरान हमने देखा **मैसर्स आरएनए यूनिवर्सल** ने अक्टूबर 2011 से मार्च 2014 के दौरान ₹ 3.24 करोड़ के सेवा कर का देरी से भुगतान किया किंतु सेवा कर के विलम्बित भुगतान के लिए ब्याज का भुगतान नहीं किया। इसके परिणामस्वरूप ₹ 19.98 लाख के ब्याज का भुगतान नहीं हुआ।

हमने इसकी ओर ध्यान दिलाया (दिसम्बर 2014), विभाग ने (मई 2015) ₹ 9.98 लाख रुपये की वसूली की सूचना दी और आगे कहा कि वसूली की शेष राशि का विवरण जल्दी ही दिया जायेगा।

6.2.6 चंडीगढ़ आयुक्तालय में **मैसर्स जयकॉन इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड** के अभिलेखों की जांच के दौरान, हमने देखा कि अक्टूबर 2012 से सितम्बर 2013 की अवधि के लिए निर्धारिती ने ₹ 34.93 लाख की देयता के विरुद्ध ₹ 12.72 लाख की ब्याज राशि का भुगतान किया। इसके परिणामस्वरूप ₹ 22.21 लाख के ब्याज का कम भुगतान हुआ।

हमने इसकी ओर ध्याना दिलाया (मई 2014) मंत्रालय/विभाग का उत्तर अब भी अपेक्षित है (जून 2015)। तथापि, निर्धारिती ने ₹ 22.21 लाख के अन्तरीय ब्याज का भुगतान कर दिया था।

6.2.7 नागपुर आयुक्तालय पर अभिलेखों की जांच के दौरान हमने देखा कि मैसर्स संदेश इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड ने 2011-12 से 2013-14 की अवधि के लिए ₹ 26.43 लाख की देयता के विरुद्ध ₹ 4.18 लाख की राशि का सेवा कर विलम्बित भुगतान किया। इसके परिणामस्वरूप ₹ 22.25 लाख के ब्याज का कम भुगतान हुआ।

इसकी ओर ध्यान दिलाने पर (जनवरी 2015) विभाग ने (अप्रैल 2015) ₹ दस लाख की वसूली की सूचना दी और आगे कहा कि वसूली की शेष राशि का विवरण जल्दी ही दिया जायेगा।

मंत्रालय का उत्तर अभी भी अपेक्षित है (जून 2015)।

नई दिल्ली

दिनांक: 27 जुलाई 2015



(एम. हिमबिन्दु)

प्रधान निदेशक (सेवा कर)

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली

दिनांक: 27 जुलाई 2015



(शशि कान्त शर्मा)

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक